

## Statement

S. No.	Cheque No.	Dat of issue	Amount	Drawn in favour of
1.	BC—423063 E	22-2-78	Rs. 60,560.50	M/s. National Agricultural Cooperative Marketing Fed. of India Ltd., Sardhanand Marg, Delhi.
2.	BC—423008 E	11-2-78	Rs. 23,898.08	M/s. Ahmed Comera bhoj, Asaf Ali Road, New Delhi.
2.	BC—423009 F	11-2-78	Rs. 26,754.00	M/s. Haryana Dairy Development Coop-Federation Ltd., Jhandewalan, New Delhi.
4.	OG—710713 F	19-10-78	Rs. 64,425.25	M/s. Hindustan Lever Ltd.
5.	OG—710723 F	20-10-78	Rs. 51,984.45	M/s. Delhi Vanaspati Syndicate
6.	OC—710674 F	13-10-78	Rs. 10,500.00	M/s. Haryana Dairy Development Federation, Ltd.

**आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में नियमित नियुक्तियां**

469. श्री टी० एस० नेगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टाफ आर्टिस्टों की श्रेणी में तदर्थ नियुक्तियां कब से चल रही हैं और उनके स्थान पर नियमित नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी;

(ख) उच्च पदों पर लम्बी अवधि तक तदर्थ नियुक्तियां जारी रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें नियमित करने की प्रक्रिया में विशिष्ट कारणों से विलम्ब किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आकाशवाणी) (क) से (ग) इस समय स्टाफ आर्टिस्टों की श्रेणी में केवल दो पद अर्थात् उप मुख्य प्रोड्यूसर और रूप मुख्य प्रोड्यूसर (हिन्दी फीचर) के पद हैं जो क्रमशः दिसम्बर, 1973 और जुलाई, 1976 से पदधारियों द्वारा तदर्थ आघार पर भरे गए हैं। पूर्ववर्ती पद के मामले में, यह प्रश्न कि पदधारी द्वारा अपने अध्यावेदन में उल्लिखित कुछ बातों को देखते हुए क्या उनकी नियुक्ति नियमित नियुक्ति मानी

जा सकती है, विचाराधीन है। उत्तरवर्ती पद के मामले में, नियमित नियुक्ति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाना प्रोड्यूसरों की प्रवृत्ता सूची को अंतिम रूप दिए जाने तक पेंडिंग है, क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जुलाई, 1978 में किए गए पहले के चयन पर कार्रवाई उस प्रवृत्ता सूची, जिसके आघार पर चयन किया गया था, में पाए गए कतिपय दोषों के कारण नहीं की जा सकी। नियमित नियुक्तियों के लिए अपेक्षित कार्रवाई को शीघ्र मुकम्मल करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

**IAS Officers Posted in States**

470. SHRI R. MOHANRANGAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is a provision for an I.A.S. officer to work for a minimum or maximum period in any State;

(b) if so, the particulars thereof; and